राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/ 5678 जयपुर, दिनांक 12.10.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषयः विधानसभा आम चुनाव, 2013 – आदर्श आचार संहिता – सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर निषेध बाबत्।

प्रसंगः इस विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 5054 दिनांक 30.09.2013 एवं कमांक 5348 दिनांक 05.10.2013

महोदय,

विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.09.2013 के साथ आयोग के निर्देशों की प्रतियॉ संलग्न कर सभी विभागों / स्थानीय निकायों / सार्वजनिक उपक्रमों से सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर निषेध बाबत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाकर रिपोर्ट विभिन्न विभागों से चाही गई थी और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी इन बिन्दुओं पर पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे:–

(i) सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियाँ दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते और यदि लगाये हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।

(ii) समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किये जावें।

(iii) राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ/फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिया जावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।

(iv) सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरूषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें।

उक्त बिन्दुओं पर दिनांक 04.10.2013 को आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने के साथ ही कार्यवाही कर लेनी चाहिए थी लेकिन अभी तक भी कई दृष्टांत ध्यान में लाए जा रहे हैं जिनके अनुसार कुछ सरकारी भवनों में उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन लगे हुए हैं और विशेष कर राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर विज्ञापन लगे हुए हैं जिन्हें बार–बार स्मरण कराए जाने पर भी हटाया नहीं गया है।

अतः उक्त सभी बिन्दुओं पर पालना सुनिश्चित की जावे, यदि किसी विभाग द्वारा पालना नहीं की गई या किसी बस पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन हटाये नहीं गये हैं तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्ण रिपोर्ट इस विभाग को दो दिवस के भीतर भिजवायी जावे।

P.T.O.

E:\VS Election 2013\Election Letters .docx

जिला निर्वाचन अधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों एवं आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। इस विषय में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए जाते हैं कि उपरोक्त बिन्दु संख्या (i) एवं (iv) की पालना उनके क्षेत्र में पूर्ण हो गई है इस आशय की रिपोर्ट भी दिनांक 14.10.2013 को प्रातः 11.00 बजे तक इस विभाग को भेजें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/5678 जयपुर, दिनांक 12.10.2013

प्रतिलिपि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निगम की बसों एवं बस स्टेण्डों पर सरकारी खर्चे से सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन यदि कहीं शेष रह गए हैं तो तुरन्त हटाए जाएं और पालना रिपोर्ट दिनांक 14.10.2013 को प्रातः 11.00 बजे तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

F:\VS Election 2013\Election Letters .docx